बेलका नगरपालिका

# नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रामपुर, उदयपुर

२०८३

आर्थिक वर्ष २०८३।०८४

आर्थिक ऐन

वेलका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३

नगरसभाबाट पारित मितिः २०८३।०३।३२

राजपत्रमा प्रकाशन मितिः २०८३।०३।३२

प्रस्तावनाः वेलका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम नगर सभाको १८औं अधिवेशनबाट यो ऐन पारित गरिएको छ । यो ऐन वेलका नगरपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।

**१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ**

(१) यस ऐनको नाम "वेलका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३" रहेको छ ।

(२) यो ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत भएपछि वेलका नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

**२. परिभाषा**

**१. सम्पत्ती कर**

यस वेलका नगरपालिकाका क्षेत्र भित्र सम्पत्ती कर संकलन गर्ने उद्देश्यले नगर सभाले निर्णय गरे अनुसार सम्पत्तीको मूल्याङ्कन गरी क्रमश आ.व. २०८३।०८४ बाट अनुसूची-१ वमोजिम सम्पत्ती कर लगाइने र असुल उपर गर्ने कार्य थालनी गरिनेछ ।

**२. भूमिकर/मालपोत**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्र भित्र जग्गा हुने जग्गाधनीहरुबाट वार्षिक रुपमा तोकिए बमोजिम भूमिकर/मालपोत लगाई अनुसूची-२ बमोजिम भूमिकर लगाईनेछ ।

**३. घर वहाल कर**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंसिक तवरले वहालमा दिएकोमा तोकिए बमोजिम घर जग्गा वहाल कर अनुसूची-३ वमोजिम लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

**४. व्यवसाय कर**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्रभित्र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी तथा आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची-४ बमोजिम उद्योग, वाणिज्य व्यवसाय कर लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

**५. कवाडी कर**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कवाडी माल वस्तुको व्यवसायिक खरिद/विक्रीको कारोवार गरे वापत अनुसूची-५ बमोजिम कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

**६. सवारी साधन करः**

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने इ-रिक्सा, थ्रिह्विलर सवारी साधनहरूको कर अनुसूची-६ बमोजिम लाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

**७. विज्ञापन कर**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा वेलका नगरसभाले स्वीकृत गरे अनुरुप अनुसूची-७ मा तोकिए वमोजिमको विज्ञापन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही वमोजिम हुनेछ ।

**८. मनोरञ्जन कर**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची-८ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही वमोजिम हुनेछ ।

**९.बहाल विटौरी शुल्क**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका उल्लेख भए अनुसार हाट वजार वा पसलमा अनुसूची-९ मा व्यवस्था भए अनुसार वहाल विटौरी शुल्क लगाईने र असूल गरिनेछ । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका घर टहराहरुको तोकिए बमोजिम शुल्क लिइनेछ ।

**१०.प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्र भित्रमा उल्लेख भए अनुसार ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, रोडा, स्लेट, भरौट, माटो, दहत्तर बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरुको प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री गर्दा संकलन तथा बिक्री शुल्क प्रदेश कानूनले वमोजिम अनुसूची-१० अनुरुप लगाईने र असूल गरिनेछ।

**११.घर अभिलेखीकरण दस्तुर**

यस वेलका नगरपालिका क्षेत्रभित्र सरकारी, सार्वजनिक पर्ति तथा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा भएका जग्गामा निर्माण भएका जुनसुकै घरहरुको अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि उल्लेख भए अनुसार घर अभिलेखीकरण दस्तुर अनुसूची-११ वमोजिम लगाईने र असूल गरिनेछ ।

**१२. पार्किङ, सरसफाइ र पूर्वाधार उपयोग कर**

वेलका नगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङ्गको लागि व्यवस्था गरिएको स्थानहरूमा निजि तथा अन्य सवारी साधनहरू पार्किङ गर्दा अनुसूची-१२ वमोजिम दस्तुर लगाईने र असूल गरिनेछ ।

**१३. सेवा शुल्क दस्तुर**

यस वेलका नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका उल्लेख भएका स्थानीय पूर्वाधार र उपलव्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राहिबाट अनुसूची-१३ बमोजिम शुल्क लगाइने र असूल गरिनेछ।

**१४. विविधः**

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भनि तोकेका विविध विषयमा यस ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अनुसूची-१४ बमोजिम कर लगाई असुल/ उपर गरिनेछ।

**१५.दण्ड जरिवाना र नियमित दस्तुर**

यस वेलका नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र नगरपालिकाको स्वीकृती विना निर्माण भएका भौतिक संरचना, घर तथा अन्य भवन, टहराहरुलाई भवन संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड र नगरपालिकाबाट स्वीकृत



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

मापदण्ड भित्र पर्नेको हकमा नगरपालिकाको निर्णयानुसार नक्सा स्वीकृत गरी नियमित गर्नुपर्ने भएमा उल्लेखित दरमा दण्ड, जरिवाना र नियमित दस्तुर लगाईने र अनुसूची-१५ बमोजिम असुल गरिनेछ ।

**१६. दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सकिने**

यस ऐन वमोजिम लगाईएका शुल्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो शुल्क र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्नेछ । यसरी दिइएको छुट सुविधामा प्राप्त गरेको माल वस्तु अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिइएको शुल्क र कर रकम असूल उपर गरी सो रकम बराबर जरिवाना गरिनेछ । करको दर घटाइएको, बढाईएको वा कुनै शुल्क र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिइएको विवरण वेलका नगरपालिकाले नगर सभामा पेश गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धी विवरण स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

द्रष्टव्यः करको दर घटाउन/वढाउन प्रस्ताव पेश गरी नगरसभाले पास गरे पश्चात स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात मात्र कार्यन्वयन गर्न सकिने छ ।

**१७. प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सकिने**

आ.व. २०८३।०८४ मा कर संकलन सम्बन्धी प्रयोजनको लागि तयार भएको यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भिर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लेखित कानूनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा वेलका नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ।

**१८. कर तथा शुल्क संकलन सम्वन्धि कार्यविधि**

यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्वन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

**१९. फर्म नवीकरण र खारेजीका लागि विशेष व्यवस्थाः**

(१) प्रचलित स्थानीय सरकारको कानून बमोजिम दर्ता तथा अभिलेखिकरण वा हस्तान्तरण भइ आएका खारेजीमा नपरेका उद्योग, वाणिज्य, सहकारी, सामुदायिक संघ/संस्था एवम् अन्य प्रकृतिका व्यवसायहरु यस पालिका क्षेत्रमा दर्ता वा अभिलेखिकरणमा रही विगत २ आ.व. वा सो भन्दा वढी समय देखि नवीकरण नभएका फर्महरुलाइ नवीकरण शुल्कमा लाग्ने अतिरिक्त प्रशासनिक दण्ड जरिवानामा सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस अनुसार आ.व.२०८३/०८४ को असोज मसान्त सम्ममा फर्म नवीकरण वा खारेजी गर्न आएमा प्रशासनिक दण्ड जरिवाना वापतको रकममा ९० प्रतिशत छुट दिइ नवीकरण वा खारेज गरिनेछ ।

**२०. खारेजी र वचाउः-**

१. आ.व.२०८३/०८४ को लागि यस आर्थिक ऐन स्वीकृत भइ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भए पछी २०८३ श्रावण १ गतेबाट तुरुन्त लागु हुनेछ ।यस अगावै प्रकाशन भएको वेलका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२ स्वतः खारेज हुनेछ / खारेज गरिएको छ ।

२. यस अघि भएका राजश्व तथा कर सम्बन्धी काम कार्यवाही यसै आर्थिक ऐन वमोजिम भए गरेको मानिनेछ।



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

३. संघ/प्रदेशको प्रचलित कानून वमोजिम स्थानीय सरकारले प्रकाशन गरेको यस आर्थिक ऐन वमोजिमका कार्यहरु सम्पादन गर्ने सिलसिलामा यो ऐन कहि कतै बाँझिएको देखिन वा भेटिन आएमा उल्लेखित ऐन नियम वमोजिम भए गरेको मानिने गरि तत्काल सुधार गरिनेछ ।

**आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कर तथा गैरकर राजश्व दर**

अनुसूची-१

दफा १ सँग सम्बन्धित

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने सम्पत्ती करको प्रस्तावित दररेट रू.

| क्र.सं. | करको दर रू. लाखमा | करको रकम रू. |
|---|---|---|
| १. | रू. ५,००,०००।- सम्म | रू. १००।- |
| २. | रू. ५,००,००१।- देखि ५०,०,०००।- सम्म | सुरूको रू. १००।- मा थप प्रतिलाख २० |
| ३. | रू. ५०,००,००१।- देखि १,००,००,०००।- सम्म | सुरूको रू. १००।- मा थप प्रतिलाख २५ |
| ४. | रू.१,००,००,००१।- देखि २,००,००,०००।- सम्म | सुरूको रू. १००।- मा थप प्रतिलाख ३० |
| ५. | रू.२,००,००,००१।- देखि ३,००,००,०००।- सम्म | सुरूको रू. १००।- मा थप प्रतिलाख ३५ |
| ६. | रू. ३,००,००,००१।- देखि ५,००,००,०००।- सम्म | सुरूको रू. १००।- मा थप प्रतिलाख ४० |
| ७. | रू. ५,००,००,००१।- देखि माथि | सुरूको रू. १००।- मा थप प्रतिलाख ४५ |

**सम्पत्तीको मूल्यांकनका आधार तथा दर निर्धारण सम्वन्धी व्यवस्थाः**

१. जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा मालपोतको दररेट रू. लाई आधार मानिनेछ । साथै घरको मुल्याङ्कन प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ ।

२. प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावण १ गते करदाताको नाममा रहेको जग्गा तथा संरचनालाई त्यस बर्ष निजको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमानी त्यसै बमोजिम मूल्याङ्कन तथा कर निर्धारण गरिनेछ ।

३. सम्पत्ती कर प्रयोजनका लागि संरचनाको मूल्यांकन तपसिल अनुसार हुनेछ।

| सि.नं | संरचनाको किसिम | ह्रासकट्टी दर | मुल्याङ्कन दररेट रू. (प्रति वर्ग फिट) |
|---|---|---|---|
| १ | आर.सि.सि. भूइमा मार्वल र भित्रि वाहिरी वालमा टायल | ०.७५ | १३००।- |
| २ | आर.सि.सि. भूइमा मात्र मार्वल टायल लगाएको | ०.७५ | १२००।- |
| ३ | आर.सि.सि. संरचना भूइमा टायल नलगाएको | ०.७५ | १०००।- |
| ४ | आर.सि.सि. संरचना पर्खाल नलगाइ फ्रेम मात्र वनाएको | ०.७५ | ९००।- |
| ५ | आर.सि.सि. संरचना सिनेमा हलको अघिल्लो मुख्य अडिटोरियम | ०.७५ | ८००।- |
| ६ | लोड वियरिङ्ग संरचना ५ इन्च गारो भएको | १.२५ | ७५०।- |
| ७ | लोड वियरिङ्ग संरचना १० इन्च गारो भएको | १.२५ | ८५०।- |
| ८ | लोड वियरिङ्ग संरचना १५ इन्च गारो भएको | १.२५ | ९००।- |
| ९ | प्रि फ्याब/ स्टिल स्टक्चर वाट वनेको संरचना | १.५० | ९००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| सि.नं | संरचनाको किसिम | ह्रासकट्टी दर | मुल्याङ्कन दररेट रू. (प्रति वर्ग फिट) |
|---|---|---|---|
| १० | अर्ध पक्की संरचना-५ इन्च गारो भएको | १.५० | ५००।- |
| ११ | अर्ध पक्की संरचना-१० इन्च गारो भएको | १.५० | ५५०।- |
| १२ | अर्ध पक्की संरचना-१५ इन्च गारो भएको | १.५० | ६००।- |
| १३ | ट्रस को संरचना | १.५० | ५५०।- |
| १४ | माटो जोडाई, इट्टा वा ढूङ्गाको गारो, आर.सि.सि. छाना भएको | २.०० | ५५०।- |
| १५ | काठै काठ वाट वनेको संरचना | २.५० | ५००।- |
| १६ | काठको खम्वा इट्टाले घेरेको, जस्ता वा टालिको छाना | २.५० | ५००।- |
| १७ | सेन्टी बेरा वा जस्ताको बेरा, टाँली वा जस्ताको छाना भएको | ३.०० | २००।- |
| १८ | वाँस वा जस्ताको बेरा, फुसको छानो भएको संरचना | ३.५० | १००।- |

अनुसूची-२

दफा २ सँग सम्बन्धित

भूमीकर मालपोत दररेट रू.

क) आवास क्षेत्र

| क्र सं | प्रति कठा रू | प्रति रोपनी रू |
|---|---|---|
| १. | १०० | ३० |

ख) कृषि क्षेत्र

| इकाई | अब्बल रू | दोयम रू | सीम रू | चहार रू |
|---|---|---|---|---|
| प्रति कठ्ठा | २५ | २० | १५ | १२ |

क ) रोपनी

| क्र सं | प्रति रोपनी खेतको रू | पाखा वारी रू |
|---|---|---|
| १ | १० | ७ |

**मालपोत दण्ड जरिवानाः**

| | |
|---|---|
| १ वर्ष सम्म वक्यौता रहेमा | २५ प्रतिशत |
| २ वर्ष सम्म वक्यौता रहेमा | ३५ प्रतिशत |
| ३ वर्ष सम्म वक्यौता रहेमा | ४५ प्रतिशत |
| सो भन्दा वढि वर्ष सम्म वक्यौता रहेमा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतले वढ्दै जाने र १०० प्रतिशत भन्दा वढि शुल्क लाग्नेछेन । | |

- वेलका नगरपालिकामा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित, भूमिहिन दलित लाई जग्गा नाप गरी दिएको निस्सा हराएमा प्रतिलिपि दस्तुर रु. ५००।- लाग्नेछ ।
- निस्सा प्राप्त गरेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नामसारी गर्नुपरेमा नामसारी शुल्क वापत रु.२०००/- लाग्नेछ ।
- एकाघर परिवारको सदस्य वा हकवालामा, नाता कायम भएको अवस्थामा नामसारी भइ जाने अवस्थामा नामसारी शुल्क वापत रु. ५००/- लाग्नेछ ।



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

अनुसूची-३

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

घर वहाल कर-

वेलका नगरपालिका क्षेत्र भित्रको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, शेड (छप्पर) कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंसिक रुपमा वहालमा दिएकोमा सम्वन्धित धनीवाट भाडा रकमको १० प्रतिशत घर बहाल कर कायम गर्ने

अनुसूची-४

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

क. उद्योग, वाणिज्य दर्ता तथा नवीकरण

| क्र.सं. | पुजिको आधारमा | दर्ता शुल्क रू | नवीकरण शुल्क रू |
|---|---|---|---|
| १ | रू १ देखि १००००० सम्म | १००० | ४०० |
| २ | रू १००००१ देखि २००००० सम्म | १५०० | ६०० |
| ३ | रू २००००१ देखि ५००००० सम्म | २००० | ८०० |
| ४ | रू ५००००१ देखि १०००००० सम्म | २५०० | १००० |
| ५ | रू १०००००१ देखि २०००००० सम्म | ४००० | १६०० |
| ६ | रू २०००००१ देखि ३०००००० सम्म | ५००० | २००० |
| ७ | रू ३०००००१ देखि ५०००००० सम्म | ६००० | २४०० |
| ८ | रू ५०००००१ देखि माथि | ८००० | ३२०० |

ख. सहकारीमा लाग्ने कर

| क्र.सं. | कार्य विवरण | दर्ता शुल्क रू | |
|---|---|---|---|
| | | दर्ता | नवीकरण |
| १. | वहुउद्देश्यीय सहकारी | ४००० | २००० |
| २. | वित्तिय सहकारी | ३००० | १५०० |
| ३. | अन्य एकल उद्देश्य भएका सहकारी | २००० | १००० |
| ४. | उद्यमी/सिमान्तकृत/लोपोन्मुख/सिल्पकला महिला वा पेशा व्यवसायमा आधारित/ विकट भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित सहकारी | ५०० | २५० |
| ५. | प्रतिलिपि | ३०० | |
| ६. | सिफारिस | १०० | |
| ७. | विनियम संसोधन | ५०० | |
| ८. | विनियम पुनर्लेखन | १५०० | |
| जरिवाना र विलम्व शुल्क तोकिए वमोजिम हुनेछ । | | | |

ग. मर्मत संभार सेवाको दररेट रू.

| सि.नं. | विवरण | दर्ता शुल्क रू |
|---|---|---|
| १ | भाडा वर्तन सुन चादी फलामे बस्तु मर्मत | १०००।- |
| २ | रिकण्डिसन मर्मत ग्यारेज | २०००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

घ. अन्य सेवा उद्योगको दररेट रू.

| सि.नं. | विवरण | व्यवसाय दर्ता शुल्क रू |
|---|---|---|
| १ | शित भण्डार | ५०००।- |
| २ | विमान सेवा | ५०००।- |
| ३ | ब्याण्ड वाजा सेवा | १०००।- |
| ४ | सवारी साधन भाडामा दिने | १५००। |
| ५ | सिनेमा हल | ५०००।- |
| ६ | सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय | २०००।- |
| ७ | जेट बोट, मोटर बोट, पानी बोट सेवा | ३०००।- |
| ८ | केबल टि.भी. | ३०००।- |
| ९ | वैदेशिक रोजगारको मुख्य कार्यालय | १००००।- |
| १० | वैदेशिक रोजगारको शाखा कार्यालय | ५०००।- |

ङ. वित्तिय सेवाको दररेट रू.

| सि.नं. | विवरण | दर्ता शुल्क रू |
|---|---|---|
| १ | ने. स. को पूर्ण स्वामित्वमा रहेका बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक | १५०००।- |
| २ | विकाश बैङ्क | १००००।- |
| ३ | आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तिय कम्पनीका मुख्य कार्यालय (मनी ट्रान्सफरहरु समेत) | ७०००।- |
| ४ | वीमा कम्पनी | ७०००।- |
| ६ | विदेशी मुद्रा सटही गर्ने बैङ्क | ३०००।- |
| ७ | ग्रामीण स्वालम्बन बैङ्क | ५०००।- |
| ८ | धितोपत्र कारोबार गर्ने बैंङ्क | ५०००।- |
| ९ | वित्तिय कम्पनीका शाखाहरु | १००००।- |
| १० | इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी | ७०००।- |

च. स्वास्थ्य सेवाको दर

| सि.नं. | विवरण | दर्ता शुल्क रू |
|---|---|---|
| १ | गैर सरकारी अपस्पताल, नर्सिङ्ग होम तथा रिसर्च सेन्टर | १००००।- |
| २ | साधारण क्लिनिक | १५००।- |
| ३ | औषधी पसल | १५००।- |
| ४ | ल्याव | २०००।- |
| ५ | क्लिनिक डाक्टर सेवा | ४०००।- |
| ६ | जडिवुट्टि/आयुर्वेदिक | १५००।- |
| ७ | निजि क्लिनिक तथा ल्याब | ५०००।- |
| ८ | दन्त अस्पताल | ५०००।- |
| ९ | पोलि क्लिनिक | ५०००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| सि.नं. | विवरण | दर्ता शुल्क रू |
|---|---|---|
| १० | आँखा क्लिनिक चश्मा विक्री | २०००।- |

छ. (घ) श्रेणिको निर्माण व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण

| क्र सं | विवरण | दर्ता दस्तुर | नवीकरण दस्तुर | कै. |
|---|---|---|---|---|
| १ | दर्ता दस्तुर | १००००।- | ५०००।- | |
| २ | इजाजत पत्र दर्ता गर्दाको वखत एकपटक थप शुल्क | ५०००।- | | |
| ३ | इजाजत पत्र प्रतिलिपि | १०००।- | | |
| ४ | इजाजत पत्र नाम सारी ठाँउसारी | ५०००।- | | |
| नोट : वेलका नगरपालिका क्षेत्र भन्दा वाहिर कार्यालय स्थापना भएको र वे.न.पा.मा कार्य सञ्चालनका लागि इजाजत लिन चाहेमा इजाजत शुल्कको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ साथै सालवसाली नविकरण शुल्क नविकरण शुल्कको ५० प्रतिशत लाग्नेछ । | | | | |

| पुनश्चः नगरपालिकाबाट तोकिएको अवधिमा नगर क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा निम्नानुसारको अतिरिक्त थप दस्तुर तथा जरिवाना लाग्नेछ । | |
|---|---|
| क) | व्यवसायिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी बापत रु. ३००।- |
| ख) | व्यवसाय वन्द रु.२०० ।-* |
| ग) | नामसारीः- दर्ता शुल्क सो सरह * |
| घ) | ठाँउसारीः- रु.२०० ।- नयाँ दर्ता सो सरहका कागजात अतिरिक्त लाग्ने * |
| ङ) | सुचिकृत दस्तुर तर्फः<br>क. व्यवसायिक फर्म सुचिकृत रु.१००० ।-<br>ख. कारोवार खरिद/विक्री फर्म सुचिकृत रु.५००/- |
| च) | म्याद समाप्त भएको मिति देखि आश्विन मसान्त सम्म नविकरण दस्तुर तोकिए बमोजिम |
| छ) | पौष मसान्त सम्म नविकरणमा लाग्ने दस्तुरको २५% थप |
| ज) | असाढ मसान्त सम्म नविकरणमा लाग्ने दस्तुरको ३५% थप |
| झ) | आ.व. समाप्त भएपछि नविकरणमा लाग्ने दस्तुरको प्रतिबर्ष ५०% थप |
| ञ) | कार्यालयमा दर्ता भएका सम्पुर्ण व्यवसायहरुको नवीकरण दस्तुर दर्ता शुल्कको ४०% मात्र लाग्नेछ । |
| ट) | एकै प्रकृतिका उद्योग, वाणिज्य व्यवसायको पूँजी वृद्धि गर्न परेमा पूँजीको आधारमा लाग्ने शुल्कमा दर्ता शुल्क घटाएर बाँकि हुन आउने शुल्क लाग्नेछ ।* |
| ठ) | पुँजिमात्र वृद्धिः दर्ता शुल्क घटाएर बाँकी हुन आउने रकम * |
| ड) | कारोबार परिवर्तनः २००। * |
| ढ) | विवरण हेरफेरः २००। * |
| ण) | शाखा विस्तारः नवीकरण सो सरह * |
| त) | सिफारिसः १००। |

* माथि उल्लेखित सवै कारोवारमा निवेदन शुल्क वापत थप अतिरिक्त रु.१००/- दस्तुर लाग्नेछ ।
द्रष्टव्यः उद्योग, वाणिज्य व्यापार व्यवसाय सालवसाली रुपमा आ.व. अनुसार अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
प्रोप्राइटरको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाको नाममा नामसारी गर्नुपरेमा निवेदन शुल्क मात्र लाग्नेछ ।



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

ज. न्यायीक दस्तुर

| सि.नं. | विवरण | न्यायिक शुल्क रू |
|---|---|---|
| १ | निवेदन दस्तुर, साक्षी वकपत्र | २००।- |
| २ | प्रतिवाद दर्ता दस्तुर | २००।- |
| ३ | नक्कल प्रतिलिपि दस्तुर | २००।- |
| ४ | म्याद थप्ने निवेदन दस्तुर, संसोसधन निवेदन दस्तुर | २००।- |
| ५ | सम्पती रोक्का निवेदन दस्तुर | ५००।- |
| ६ | मिलापत्र दस्तुर | १०००।- |
| ७ | विगो भराउदा उठ्ती उठाई दिंदा रकमको | १ प्रतिशत (प्रदेश कानून द्धारा निर्धारण भए वमोजिम हुने ।) |
| ८ | रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भए (पचास हजार सम्म) | ५००।- |
| ९ | रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भए (पचास हजार माथी) | १०००।- |
| १० | लेनदेन लिखत प्रमाणित | ०.५ प्रतिशत |
| ११ | अन्य लिखत प्रति पाना | १००।- |

झ. शिक्षा सम्वन्धि (संस्था अभिलेखिकरण)

| | | |
|---|---|---|
| १ | पूर्व प्राथमिक (वाल शिक्षा) | १५००।- |
| २ | अ) आधारभुत विद्यालय कक्षा ५ सम्म | २०००।- |
| ३ | आ) कक्षा ८ सम्म | २५००।- |
| ४ | कक्षा १० सम्म | ३०००।- |
| ५ | कक्षा १२ सम्म | ५०००।- |
| ६ | निजि/संस्थागत विद्यालय (कक्षा थप) | |
| | अ) आधारभुत तह कक्षा थप को लागि | ३०००।- |
| | आ) माध्यमिक तह कक्षा थप को लागि | ५०००।- |
| ७ | निजि/संस्थागत विद्यालय सञ्चालित स्वीकृत दस्तुर | |
| | क) जन्म मिति नाम,थर संशोधन सिफारिस | २००।- |
| | ख) कक्षा ८ को ग्रेड सिट प्रतिलिपि | २००।- |
| | ग) कक्षा ८ को परीक्षा शुल्क | ५००।- |
| | घ) क्याम्पस स्थापना सिफारिस | ६०००।- |
| | ङ) प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण, कन्सुलर प्रमाणिकरण | ५००।- |
| | च) कोचिङ्ग, ट्युसन र भाषा कक्षाहरु सञ्चालन अनुमति | ५००० ।- |
| | छ) अन्य सिफारीस | ५००।- |
| ८ | निजि क्षेत्रका प्राविधिक शिक्षालय | ८०००।- |
| ९ | नयाँ विद्यालय स्थापनार्थ | १००००।- |
| १० | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | २०००।- |
| ११ | टाइपिङ, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था, ट्यूसन इन्स्च्यिूट | २०००।- |
| १२ | मन्टेश्वरी, होस्टल (बोडर्स) | १५००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| | | |
|---|---|---|
| ११ | पूर्व प्राथमिक (वाल शिक्षा) | १५००।- |
| १३ | गैर सरकारी संस्था | १५००।- |
| १४ | लेखा परिक्षक अनुमति | ३०००।- |
| १५ | ठाँउसारी विद्यालय/क्याम्पस | ७०००।- |

ञ. अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क दर

| सि.नं. | विवरण | दर्ता शुल्क रू |
|---|---|---|
| १ | दरभाउपत्र फाराम शुल्क | १०००/- |
| २ | बोलपत्र विक्री फाराम शुल्क | ३०००/- |
| ३ | श्रम स्वीकृति/पुनःश्रम स्वीकृति सहजिकरण शुल्क | ३००/- |

## अनुसूची-५

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

ट) कवाडी करको दर

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दर रू | कै |
|---|---|---|---|---|
| १ | खाली सिसी वियरको बोतल | प्रति गोटा | २० पैसा | |
| २ | अन्य ५०० एम.एम.भन्दा माथिको बोतल सिसी | प्रति गोटा | १५ पैसा | |
| ३ | अन्य ५०० एम.एम.भन्दा मुनिको बोतल सिसी | प्रति गोटा | १० पैसा | |
| ४ | पुरानो कागज अखबार | प्रति के.जी.. | ५० पैसा | |
| ५ | अन्य कागज | प्रति के.जी.. | १ रुपैया | |
| ६ | प्लाष्टिक बोरा | प्रति गोटा | २० पैसा | |
| ७ | फलामको टुक्रा | प्रति के.जी.. | २ रुपैया | |
| ८ | जुटको खालीबोरा | १०० के.जी.वाला | ५० पैसा | |
| ९ | जुटको खालीबोरा | ५० के.जी.वाला | २५ पैसा | |
| १० | झिन्ड उनको | प्रति के.जी | २ रुपैया | |
| ११ | पुरानो पित्तल तामा | प्रति के.जी | ५ रुपैया | |
| १२ | सिलभर | प्रति के.जी | २ रुपैया | |
| १३ | सिसाको धुलो वा टुक्रा | प्रति के.जी. | १ रुपैया | |
| १४ | खाली टिन ठूलो १० लिटर भन्दा माथी | प्रतिगोटा | २ रुपैया | |
| १५ | खाली टिन ठूलो १० लिटर भन्दा मुनी | प्रतिगोटा | १ रुपैया | |
| १६ | पुरानो ड्रम | प्रतिगोटा | ५० पैसा | |
| १७ | गारमेन्ट कपडाको टुक्रा | प्रतिगोटा | २ रुपैया | |
| १८ | जलेको पुरानो मोविल ५ केजिको | प्रति लि. | १ रुपैया | |
| १९ | कारपेटको टुक्रा | प्रति के.जी. | २ रुपैया | |
| २० | पुरानो टायर टयूवहरु | प्रति के.जी. | २ रुपैया | |
| २१ | पोलेथिन | प्रति के.जी. | १ रुपैया | |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दर रू | कै |
|---|---|---|---|---|
| २२ | जुट प्लाटिकको बोरा प्रयोग हुन नसक्ने | प्रति के.जी. | २० पैसा | |
| २३ | थोत्रा टिन | प्रति के.जी. | ५० पैसा | |
| २४ | प्लास्टीकको बोतल, भाँडाकुँडा | प्रति के.जी. | ५० पैसा | |
| २५ | थोत्रो काम नलाग्ने मेशिनरी औजार | प्रति के.जी. | २ रुपैया | |

अनुसूची-६

दफा ६ सँग सम्बन्धित

सवारी साधन लगायतको को दर

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दररेट रू. | कै |
|---|---|---|---|---|
| १ | विद्युतीय पाइडलयुक्त साइकल सञ्चालन अनुमति | प्रति गोटा | रु ५००।- | |
| २ | ठेला र रिक्सा | प्रति गोटा | रु ५००।- | |

अनुसूची-७

दफा ७ सँग सम्बन्धित

विज्ञापन कर

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दररेट रू. | कै |
|---|---|---|---|---|
| १ | रामपुर बजार र कोठु | प्रति वर्गफिट | १२०।- | |
| २ | लालबजार, सुपाडे, सोमबारे, आम्वासी चोक | प्रति वर्गफिट | ८०।- | |
| ३ | अन्य क्षेत्रमा | प्रतिवर्गफिट | ६०।- | |
| ४ | भित्ते लेखन नगरपालिका भरी | प्रति वर्ग फिट | ८।- | |

अनुसूची-८

दफा ८ सँग सम्बन्धित

मनोरञ्जन कर

| सि.नं. | विवरण | दर रू |
|---|---|---|
| १ | मनोरञ्जनको लागी टिकट खरिद गर्नुपर्ने चलचित्र घर र हाट बजार, मेला, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर तथा कन्सर्ट | कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार |
| २ | मनोरञ्जन करका लागि एकमुष्ट रकम तोकिएको मनोरञ्जनको साधनमा | |
| ३ | जलयात्रा - शुल्कको ५ प्रतिशत | |
| ४ | पारा ग्लाइडिंग - शुल्कको ५ प्रतिशत | |
| ५ | साहसिक पर्यटन – शुल्कको ५ प्रतिशत | |
| ६ | पिक्निक स्पोर्ट प्रति टिम | ३००।- |

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

अनुसूची-९

दफा ९ सँग सम्बन्धित

बहाल बिटौरी कर

| सि.नं. | विवरण | इकाइ | दर रू |
|---|---|---|---|
| १ | नगरपालिकाले आफूले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेको हाट बजार, सार्वजनिक स्थल, वाटो छेउ ऐलानी जग्गामा अस्थाई पसल राख्न दिए वापत | प्रति वर्गफुट | १० |
| २ | नगरपालिकाले आफूले निर्माण रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार, सार्वजनिक स्थल, वाटो छेउ ऐलानी जग्गामा अस्थाई पसल राख्न दिए वापत वार्षिक रुपमा कर नबुझाएमा विलम्ब शुल्क | प्रतिशत | १० |
| ३ | सेवा दस्तुर | प्रति कठ्ठा | १०० |

अनुसूची-१०

दफा १० सँग सम्बन्धित

प्राकृतिक श्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, भरौट र माटो संकलन तथा विक्री शुल्क प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम हुनेछ।

अनुसूची-११

दफा ११ सँग सम्बन्धित

घर अभिलेखिकरण दस्तुर

| सि.नं. | संरचनाको किसिम | दर प्रति वर्गफुट रू |
|---|---|---|
| १ | भूमिगत तला | २.००।- |
| २ | भूई तला | ३.००।- |
| ३ | पहिलो तला | ४.००।- |
| ४ | दोस्रो तला | ५.००।- |
| ५ | तेस्रो तला | ६.००।- |
| ६ | चौथो तला | ७.००।- |
| नोटः नक्सापास गरेको घरको हकमा उक्त अभिलेखीकरण दस्तुर लाग्ने छैन । | | |

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

## अनुसूची-१२

### दफा १२ सँग सम्बन्धित

पार्कीङ्ग व्यवस्थापन शूल्क, सरसफाई शुल्क, पूर्वाधार उपयोग कर एकपटकका लागि

| सि.नं. | विवरण | इकाई | दर रेट रू |
|---|---|---|---|
| १ | निजी तथा भाडाका लरी, डोजर तथा अन्य हेभी गाडी | प्रतिगोटा | ५०।- |
| २ | निजी तथा भाडाका वस, मिनिबस, ट्रक, ट्र्याक्टर | प्रतिगोटा | ४०।- |
| ३ | निजी तथा भाडाका टेम्पो, ट्याक्सी, सिटी रिक्सा, ई-रिक्सा, | प्रतिगोटा | २०।- |
| ४ | अन्य सवारी साधन | प्रतिगोटा | १०।- |
| नोटः विदेशी नम्बरको सवारी साधनमा दोब्बर दस्तुर शूल्क लाग्नेछ । | | | |

## अनुसूची-१३

### दफा १३ सँग सम्बन्धित

सेवा शुल्क दस्तुर

१.घर नक्सापास दस्तुर

| सि.नं. | विवरण | इकाई | दर रेट |
|---|---|---|---|
| १ | नक्सा पास निवेदन | रु.१०० | तेश्रो तल्ला भन्दा माथीको १००० व.फिट भन्दा बढीको क्षे.फ. मा भवन निर्माण गर्नुपरेमा स्ट्रक्चर डिजाईन पेश गर्नुपर्नेछ ।साथै सोको सबै तलाको दररेट रू. प्रति वर्गफिट थप रु.२ का दरले बृद्धि हुनेछ । |
| २ | नक्सा पास निवेदन फारम किताव | रु.५०० | |
| ३ | नक्सा पास दस्तुर | | |
| | क) भुमिगत तल्ला | रु.६ प्रति वर्गफिट | |
| | ख) भुई तल्ला | रु.७ प्रति वर्गफिट | |
| | ग) पहिलो तल्ला | रु.८ प्रति वर्गफिट | |
| | घ) दोस्रो तल्ला | रु.९ प्रति वर्गफिट | |
| | ङ) तेस्रो तल्ला वा सो भन्दा माथी | रु.१० प्रति वर्गफिट | |
| ४ | पर्खाल | रु.३ प्रति वर्गफिट | |
| ५ | रेखाङ्कन | रु.५०० | |
| ६ | निरीक्षण तथा सर्जमिन दस्तुर | रु.१००० | |
| ७ | जस्ता पाताको छानो भएको संरचना | रु.२ प्रति वर्गफिट | |
| ८ | म्याद थप दस्तुर | राजश्वको १० % | |
| ९ | धरौटी | राजश्वको ५० % | पछि फिर्ता हुने |
| १० | घर नक्सा संशोधन | राजश्वको २० % | |
| ११ | नक्सापास इजाजत | रु.१००० | |
| १२ | नक्सापास सम्पन्न | रु.१००० | |
| १३ | घर नक्सा नामसारी | रु.३००० | |
| १४ | घेराबेरा (कम्पाउण्ड वाल) रनिङ | रु.३ प्रति वर्गफिट | |
| १५ | ऐलानी पर्ति जग्गामा बनाएका संरचनाको हकका कार्यविधि बमोजिम दस्तुर लाग्ने | | |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

२. साँध सिमाना छुट्याउने सम्वन्धमा

| सि.नं. | विवरण | कै |
|---|---|---|
| १ | नगरपालिकावाट कोहि कसैको माग निवेदन अनुसार जग्गा सम्वन्धि साँध सिमाना निरक्यौल गरी छुट्याउनु पर्ने भई फिल्डमा जानुपर्ने भएमा उक्त कार्यका लागी रु.३,०००।- दस्तुर लाग्नेछ । साथै एउटै नक्सा भित्रको विभिन्न कित्ता भए पनि जग्गा धनी एउटै भएमा एकमुष्ट रु. ३,०००।- मात्र शुल्क तिर्नुपर्नेछ । | |

३. भवन निर्माण खर्च सम्वन्धमा

| सि.नं. | विवरण | कै |
|---|---|---|
| १ | घर जग्गा निशर्गमा लाग्ने पुँजीगत लाभ कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिको मूल्यांकन वमोजिम हुने लागत खर्च मात्र घटाई पूँजीगत लाभ र करको गणना गर्ने गरी भवन निर्माणको लागत खर्च सिफारिस गर्दा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिको मूल्यांकनको आधारमा लागत खर्च सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालय राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाको मिति २०७४।०५।०९ को प.सं.२०७४।७५ च.नं. १४३ को पत्र वमोजिम भवन निर्माण खर्च सिफारिस गर्ने | |

४. घर नक्सा सम्वन्धी मापदण्ड

| सि.नं | विवरण | कै |
|---|---|---|
| १ | घर नक्सा तयार गर्ने व्यक्ति वा फर्म नगरपालिका कार्यालयमा अनिवार्य रजिष्टर हुनु पर्नेछ । | |
| २ | घर निर्माण कर्ताले नगरपालिकाको अमिनद्वारा जग्गा छुटाई न.पा.को प्राविधिकबाट निर्माण क्षेत्र लेआउट गराइमात्र घर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । | |
| ३ | घर निर्माण कर्ताले घर नक्सापास ईजाजत २ चरणमा लिनु पर्ने छ । | |
| ४ | घर निर्माण कर्ताले प्रथम चरणमा प्लीन्थ लेवल सम्म निर्माण ईजाजत लिनु पर्ने छ । | |
| ५ | प्लीन्थ लेवल सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसके पछि निर्माणकर्ताले सुपर स्टक्चर सम्मको निर्माणको लागि नगरपालिका कार्यापालिकामा निवेदन दिनु पर्नेछ । | |
| ६ | प्राप्त निवेदनको आधारमा नगरपालिको प्राविधिकले जाँचपास गरेर मात्र सुपर स्टक्चर सम्मको निर्माण ईजाजत दिईनेछ । | |
| ७ | घर नक्सा बनाउने व्यक्ति वा फर्मले A3 साइजमा मात्र घर नक्सा बनाउनु पर्नेछ । | |

५. घरबाटो सिफारिस दस्तुरको दररेट रू.

| सि.नं. | विवरण | कै |
|---|---|---|
| १ | घर वाटो सिफारीस रु. ५०० | |

६.घरकायम भएको सिफारिस लिनका लागि निम्नानुसार दस्तुर लाग्नेछ ।

| घरको क्षेत्रफल | नक्सापास गरेको रू | नक्सापास नगरेको रू |
|---|---|---|
| ७०० वर्ग फिट सम्मको | ५००।- | १००० ।- |
| १४०० वर्ग फिट सम्मको | १०००।- | २००० ।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| | | |
|---|---|---|
| सो भन्दा बढीको | १५००।- | ३००० ।- |
| अन्य कच्ची घर भएमा रु. १००।- र काठको घर भएमा प्रति घर रु. ५००।- | | |
| नोटः अंसवण्डा प्रयोजनका लागि उल्लेखित दस्तुरमा २५ प्रतिशत दस्तुर कम लिई सिफारिस दिने । | | |

अनुसूची-१४

दफा १४ सँग सम्बन्धित

७. नगरपालिकाले विभिन्न व्यावसायी संघ संस्था वा व्यक्ति समेतलाई सेवा पुऱ्याय वापत लाग्ने सेवा शुल्क

| सि.नं. | विवरण | | दर रेट रू |
|---|---|---|---|
| १ | साधारण सिफारिस दस्तुर वापत | | १००।- |
| २ | नाता प्रमाणित (२ जना) | | २५०।- |
| | नाता प्रमाणित २ जना भन्दा बढी प्रति व्यक्ति | | १००।- |
| | नाता प्रमाणित (अग्रेजीमा) | | ५००।- |
| | नाता प्रमाणित २ जना भन्दा बढी प्रति व्यक्ति (अग्रेजीमा) | | २००।- |
| ३ | प्रमाणित दस्तुर (नेपाली) | | ३००।- |
| ४ | प्रमाणित दस्तुर (अङ्ग्रेजी) | | ५००।- |
| ५ | टेलिफोन सिफारिस दस्तुर वापत | | ३००।- |
| ६ | धारा सिफारिस दस्तुर वापत | | २००।- |
| ७ | विद्युत जडान सिफारिस दस्तुर वापत | | २००।- |
| ८ | चरित्र सिफारिस | | १५०।- |
| ९ | वैदेशिक सिफारिस (भारतको लागी) | | २५०।- |
| १० | वैदेशिक सिफारिस (अन्य मुलुकको लागि) | | ५००।- |
| ११ | कन्सुलर प्रमाणिकरण | | ५००।- |
| १२ | व्यावसाय पान नं. लिनका लागी सिफारिस | | १००।- |
| १३ | मोठ कायम सिफारिस (कच्ची घर) | | २००।- |
| १४ | पक्की घर | | |
| क) ७०० वर्गफिट सम्मको | | | ५००।- |
| ख) १४०० वर्गफिट सम्मको | | | १०००।- |
| ग) सो भन्दा माथिको प्रति वर्ग फिट | | | रू.१।- |
| घटना दर्ता | क) जन्मे देखी ३५ दिन | | निशुल्क |
| | ख) ३६ दिन देखि माथी | | २००।- |
| | ग) सर्जमिन गर्नुपर्ने घटना दर्ताको हकमा दस्तुर सर्जमिन दस्तुर थप | | ५००।- |
| | घ) व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि दस्तुर | | ५००।- |
| | ङ) व्यक्तिगत घटना दर्ता सच्याउन | | ५००।- |
| | च) घटना दर्ता सम्वन्धी सूचना लिन घटना दर्ता किताव हेरेको वा अभिलेख उतार | | २००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| | | |
|---|---|---|
| सो भन्दा बढीको | १५००।- | ३००० ।- |
| अन्य कच्ची घर भएमा रु. १००।- र काठको घर भएमा प्रति घर रु. ५००।- | | |
| नोटः अंसवण्डा प्रयोजनका लागि उल्लेखित दस्तुरमा २५ प्रतिशत दस्तुर कम लिई सिफारिस दिने । | | |

अनुसूची-१४

दफा १४ सँग सम्बन्धित

७. नगरपालिकाले विभिन्न व्यावसायी संघ संस्था वा व्यक्ति समेतलाई सेवा पुऱ्याय वापत लाग्ने सेवा शुल्क

| सि.नं. | विवरण | दर रेट रू |
|---|---|---|
| १ | साधारण सिफारिस दस्तुर वापत | १००।- |
| २ | नाता प्रमाणित (२ जना) | २५०।- |
| | नाता प्रमाणित २ जना भन्दा बढी प्रति व्यक्ति | १००।- |
| | नाता प्रमाणित (अग्रेजीमा) | ५००।- |
| | नाता प्रमाणित २ जना भन्दा बढी प्रति व्यक्ति (अग्रेजीमा) | २००।- |
| ३ | प्रमाणित दस्तुर (नेपाली) | ३००।- |
| ४ | प्रमाणित दस्तुर (अङ्ग्रेजी) | ५००।- |
| ५ | टेलिफोन सिफारिस दस्तुर वापत | ३००।- |
| ६ | धारा सिफारिस दस्तुर वापत | २००।- |
| ७ | विद्युत जडान सिफारिस दस्तुर वापत | २००।- |
| ८ | चरित्र सिफारिस | १५०।- |
| ९ | वैदेशिक सिफारिस (भारतको लागी) | २५०।- |
| १० | वैदेशिक सिफारिस (अन्य मुलुकको लागि) | ५००।- |
| ११ | कन्सुलर प्रमाणिकरण | ५००।- |
| १२ | व्यावसाय पान नं. लिनका लागी सिफारिस | १००।- |
| १३ | मोठ कायम सिफारिस (कच्ची घर) | २००।- |
| १४ | पक्की घर | |
| क) ७०० वर्गफिट सम्मको | | ५००।- |
| ख) १४०० वर्गफिट सम्मको | | १०००।- |
| ग) सो भन्दा माथिको प्रति वर्ग फिट | | रू.१।- |
| घटना दर्ता | क) जन्मे देखी ३५ दिन | निशुल्क |
| | ख) ३६ दिन देखि माथी | २००।- |
| | ग) सर्जमिन गर्नुपर्ने घटना दर्ताको हकमा दस्तुर सर्जमिन दस्तुर थप | ५००।- |
| | घ) व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि दस्तुर | ५००।- |
| | ङ) व्यक्तिगत घटना दर्ता सच्याउन | ५००।- |
| | च) घटना दर्ता सम्वन्धी सूचना लिन घटना दर्ता किताव हेरेको वा अभिलेख उतार | २००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| सि.नं. | विवरण | दर रेट रू |
|---|---|---|
| १५ | नागरिकता सिफारिस दस्तुर | १००।- |
| १६ | नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस दस्तुर | ५००।- |
| १७ | सर्जमिन सिफारिस दस्तुर | |
| | क) साधारण जुनसुकै सर्जमिन (सिफारिस दस्तुर बाहेक) | ३००।- |
| | ख) जग्गा नामसारी सर्जमिन गर्दा न्यूनतम ७.५ कठ्ठा वा ५ रोपनी भन्दा वढी भएमा प्रति कठ्ठा वा प्रति रोपनी (अतिरिक्त) सेवा शुल्क | २०।- |
| | ग) छुट जग्गा दर्ताको सर्जमिन गर्दा प्रति कठ्ठा वा प्रति रोपनी अतिरिक्त शुल्क | १५००।- |
| | घ) धितो मुल्याङ्कन शुल्क प्रतिहजार | १।- |
| घर भाडा वापतको आम्दानी सिफारिस गर्दा वहालकर नियमानुसार दाखिला गरेको प्रमाणको आधारमा मात्र गर्ने | | |
| | ङ) जग्गा चौहदी प्रमाणीत गर्दा प्रति कित्ता | २५०।- |
| | च) थप प्रति कित्ता | १००।- |
| १८ | उद्योग दर्ता सिफारिस | |
| | क) ठूला उधोग | २५००।- |
| | ख) मझौला उद्योग | १५००।- |
| | ग) घरेलु तथा साना उद्योग | १००।- |
| १९ | पेन्सन सिफारिस सम्बन्धमा | |
| | क) पेन्सन सिफारिस (नेपाली) | ५००।- |
| | ख) पेन्सन सिफारिस (भारतीय) | १०००।- |
| | ग) पेन्सन सिफारिस (अन्य) | २०००।- |
| २० | अध्ययनको सिलसिलामा विद्यार्थीहरुलाई | |
| | क) मूल्याङ्कन सिफारिस गर्दा रु ५० लाख सम्म | २५००।- |
| | ख) ५० लाखदेखी १ करोड सम्म | ३५००।- |
| | ग) १ करोड देखि २ करोड सम्म | ४५००।- |
| | घ) २ करोड वा सो भन्दामाथी | ७५००।- |
| २१ | वार्षिक आय प्रमाणित गर्नु परेमा | |
| | क) रु १० लाखसम्मको प्रमाणित गर्नु परेमा | १०००।- |
| | ख) रु १० लाख देखी २० लाख सम्म गर्नु परेमा | १७००।- |
| | ग) रु २० लाख वा सो भन्दा माथी गर्नु परेमा | २५००।- |
| २२ | खानेपानीको पाइप जडानको लागी कालोपत्रे सडक फुटाउनु परेमा प्रति वर्ग फिट | १५०।- |
| २३ | खानेपानीको पाइप जानकारी नदिई फुटाएमा थप दस्तुर | ५०।- |
| २४ | नगरपालिका क्षेत्रभित्र मानिसको मृत्यु भई न.पा. को सवारी साधन प्रयोग गरी पोष्टमार्टमको लागी अन्यत्र लैजानु परेमा | २५००।- |
| २५ | नगरपालिकामा रहेको सानो हल भाडा दैनिक | १०००।- |
| २६ | मल्टिमिडिया न.पा. हलभन्दा बाहिर लैजानु परेमा प्रतिदिन | १०००।- |
| २७ | लेभलिङ्ग मेसिन प्रति दिन(न.पा. बाट लगिसके पछि दाखिला गरेको दिन सम्मको | १०००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| सि.नं. | विवरण | दर रेट रू |
|---|---|---|
| | भाडा लाग्ने) | |
| २८ | टोटल स्टेशन प्रतिदिन बे.न.पा. भित्र | ३०००।- |
| २९ | टोटल स्टेशन प्रतिदिन बे.न.पा. बाहिर | ५०००।- |
| ३० | न.पा. क्षेत्रभित्र निर्माण भएको पक्की सडक तथा सडक नालाले छोएको घर जग्गाको सम्पती कर असुल गर्दा वार्षिक सार्वजनिक संरचना मर्मत सम्भार असूल | ५०।- |
| ३१ | न.पा. अगाडी रहेको व्यापापारिक प्रयोजनको सटर (भाडा) (प्रति सटर, प्रति महिना) | २५००।(भ्याट वाहेक) |
| ३२ | वेलका नगरपालिकाको चमेना गृह (क्यान्टीन) भाडा वापत प्रति महिना शुल्क | ४०००।- |
| ३३ | खसी/बाख्रा/बोका संकलन केन्द्र प्रयोग गरे वापत प्रति खसी/बोका | ५०।- |
| ३४ | रामपुर बजार वा न.पा. परिसरको सभाहल भाडा (प्रतिदिन) | |
| | क) अन्तर्राष्ट्रिय | २५००।- |
| | ख) राष्ट्रिय | २०००।- |
| | ग) जिल्ला स्तरीय | १५००।- |
| | घ) नगर/स्थानीय | १०००।- |
| ३५ | गुद्रि बजार भाडा | |
| | क) प्रतिमहिना | ५००।- |
| | ख) प्रतिदिन | २०।- |
| | ग) अन्य दस्तुर | १० ।- |
| ३६ | अन्य स्थानीय तहमा दर्ता भई वे.न.पा.मा कार्यरत गै.स.स. वार्षिक अनुमति र शाखा खोल्दाको शुल्क | २०००।- |
| ३७ | संघ/संस्था नवीकरण शुल्क | |
| | क) ५ लाख सम्म कारोवार भएकालाई | १०००।- |
| | ख) ५ लाख देखि ५० लाख सम्म कारोवार भएकालाई | १५००।- |
| | ग) ५० लाख भन्दा माथि १ करोड सम्म कारोवार भएकालाई | २०००।- |
| | घ) एक करोड भन्दा माथि कारोवार भएकालाई | ५०००।- |
| | ङ) संस्थान नविकरण विलम्ब दस्तुर प्रति वर्ष | ५००।- |
| | च) जिल्ला वाहिर दर्ता भएको र यस जिल्लामा कामकाज गरेको अनुभवको सिफारिस दस्तुर | ५००।- |
| | छ) कार्यक्रम सहयोग इकाई सूचिकृत/सदस्यता दस्तुर | १०००।- |
| | ज) कार्यक्रम सहयोग इकाई नविकरण दस्तुर | ५००।- |
| | झ) स्थानीय संघ/संस्था सूचिकृत तथा नविकरण दस्तुर | ५००।- |
| ३८ | जलश्रोत समिति/संस्थादर्ता | |
| | क) खानेपानी, सिंचाई र नदि नियन्त्रण दर्ता | १०००।- |
| | ख) साना जलविद्युत दर्ता | १०००।- |
| | ग) खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत र नदी नियन्त्रण नविकरण | १०००।- |
| | घ) खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत र नदी नियन्त्रण विलम्ब दस्तुर प्रतिवर्ष | ५००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| सि.नं. | विवरण | दर रेट रू |
|---|---|---|
| | ङ) खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत र नदी नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्रतिलिपी | २०००।- |
| | च) विद्यान प्रतिलिपी दस्तुर | १०००।- |
| | छ) उपभोक्ता समिति वडास्तरमा दर्ता शुल्क | १००।- |

नोटः असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गर्दा तथा प्रकोप सम्बन्धी सिफारिस, औषधि उपचार सहयोग गर्ने सम्बन्धी सिफारिसमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।

अस्थायी तथा दैनिक हाटबजार

| क्र.स | विवरण | दररेट रू. | क्र.सं | विवरण | दररेट रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | फेरानी | १० | २८ | किराना पसल | १०।- |
| २ | सब्जी पसल | १० | २९ | १०० के.जी.पलदार काटा | ५०।- |
| ३ | साबुन थोक पसल | २० | ३० | माटाको भाडा राख्ने | ५।- |
| ४ | चुरा पसल झ्छ | १५ | ३१ | सुन्तला नास्पाती, कागती अन्य फिजाई बेच्ने | ५।- |
| ५ | औठी पसल | १० | ३१ | सुन्तला, नास्पती, कागती, आँप प्रति भारी | २५।- |
| ६ | मनिहारा पसल | १५ | ३२ | स्याउँ, अंगुर, केरा, अनार,सुन्तला, ठेलामा राखी बेच्ने | २०।- |
| ७ | हाँस कुखुरा प्रतिगोटा | ५ | ३३ | टर्च लाइट, राईस कुकर मर्मत | १०।- |
| ८ | परेवाप्रति जोर | ५ | ३४ | सुर्ती पसल | २०।- |
| ९ | नुनपसल | १० | ३५ | भाँडा पसल | २०।- |
| १० | कपडा फिजाई बेच्ने | ४० | ३६ | डोको, नाङला मुडा विक्री गर्ने | १०।- |
| ११ | रेडिमेट पसल | ३० | ३७ | घुम्ती घडी तथा मोबाइल पसल | २५।- |
| १२ | कपडा पसल थान | ४५ | ३८ | साग सब्जी पसल | १०।- |
| १३ | मुरही पसल | १० | ३९ | अन्न विक्री गर्ने | १५।- |
| १४ | झिल्लीबेच्ने | १० | ४० | हजाम | १०।- |
| १५ | माछा पसल | २५ | ४१ | विडी बेच्ने सँग | १०।- |
| १६ | माछा मासु पकाई बेच्ने | ३० | ४२ | नास्पाती सय कडा | १०।- |
| १७ | खसी काटी बेच्ने | १०० | ४३ | चिराईतो, माझितो, कुरिलो प्रतिकेजी | १०।- |
| १८ | छाता/जुत्ता मर्मत पसल | १५ | ४४ | दलहन प्रति किलो | १।- |
| १९ | राँगा काटी बेच्ने | १०० | ४५ | दहि प्रति ठेकी | १०।- |
| २० | सँगुर, बँगुर काटी बेच्ने | १०० | ४६ | तेलहन प्रति मन | २५।- |
| २१ | वरफ | १० | ४७ | केरा प्रतिभारी | १०।- |
| २२ | विस्कुट पाउरोटी | १५ | ४८ | घुम प्रतिगोटा | ५।- |
| २३ | जडीबुटी पसल | १० | ४९ | सिन्कौलीको बोक्रा प्रति मन | २०।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| क.स | विवरण | दररेट रू. | क.सं | विवरण | दररेट रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| २४ | अण्डा पसल | १० | ५० | तेजपात प्रतिभारी | १०।- |
| २५ | गुँड पसल | १० | ५१ | अन्य छुटफुट सामान बिक्री | १०।- |
| २६ | चटपटे पानी पुरी अन्य | १० | ५२ | हर्दी प्रति मन | २०।- |
| २७ | पानपसल | १५ | | | |

दैनिक रुपमा लाग्ने हाट बजार तथा घुम्ती पसलको सिफारिस गरिएको कर

| सि.नं. | विवरण | दररेट रू. | कै |
|---|---|---|---|
| १ | घुम्ती मोवाईल पसल, खुम्चा समेतमा | १०।- | |
| २ | चौपाया प्रतिगोटा | ५०।- | |
| ३ | हाँस, कुखुरा प्रतिगोटा | १०।- | |
| ४ | साग, सब्जी र फलपूल प्रति पसल | १०।- | |
| ५ | अन्य सामाग्री | १०।- | |

अस्थायी हाट बजार सिफारिस गरिएको शुल्क

नगरपालिका क्षेत्र भित्रको अस्थायी हाटहरुबाट विक्रीको लागि ल्याएको पशु चौपायाहरुमा निम्नानुसारको शुल्क खरिदकर्ता वा बिक्रेताबाट लिने

| क.स | विवरण | इकाइ | दररेट रू. | क.सं. | विवरण | इकाइ | दररेट रू. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | खसी | प्रतिगोटा | १०० | ६ | सुंगु, बंगुर | प्रतिगोटा | १००।- |
| २ | वोका, वाख्रा, पाठी | प्रतिगोटा | ६० | ७ | भुना, बुच्चा | प्रतिगोटा | ५०।- |
| ३ | घोडाघोडी | प्रतिगोटा | १०० | ८ | भेडाभेडी | प्रतिगोटा | ५०।- |
| ४ | राँगा, थारा भैसी | प्रतिगोटा | १५० | ९ | थारा गाई, गोरु | प्रतिगोटा | १५०।- |
| ५ | लैना गाई, भैसी | प्रतिगोटा | १५० | १० | पाडापाडी, बाछाबाछी | प्रतिगोटा | ५०।- |

फोहोर व्यवस्थापन

| क.सं. | विवरण | दररेट |
|---|---|---|
| १ | व्यक्तिगत घर | ५० |
| २ | होटल एण्ड लज | ५०० |
| ३ | उद्योग तथा कलकार खान | १००० |
| ४ | मेडिकल व्यवसायीहरू | १००० |
| ५ | अन्य वाणिज्य व्यवसायहरू | ३०० |

नगरपालिका मार्फत निर्मित गुद्रीबजार तथा टहरामा दैनिक व्यवसाय सञ्चालन दस्तुर

| क.सं. | विवरण | | दररेट रू. |
|---|---|---|---|
| १ | फलपूल, साग सब्जी पसल (टहरा भित्र) | मासिक | ४५०।- |
| २ | फलपूल, साग सब्जी पसल (टहरा वाहिर) | मासिक | १०।- |
| ३ | मासु पसल (टहरा भित्र) | दैनिक | ५००।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| क्र.सं. | विवरण | | दररेट रू. |
|---|---|---|---|
| ४ | मासु पसल (टहरा वाहिर) | दैनिक | १५।- |
| ५ | अन्य पसल | दैनिक | १०।- |

पशु पन्छी, कृषि, वन तथा जडिबुट्टी

वेलका नगरपालिका पशु सेवा शाखाको आ.व. २०८३/०८४ को सेवा शुल्कको दररेट रू.

| क्र.सं. | सेवा विवरण | इकाइ | दररेट रू. |
|---|---|---|---|
| १ | गाई/भैंसी को दर्ता | गोटा | १०।- |
| २ | गाइ भैसिको पोष्टमार्टम | गोटा | २००।- |
| ३ | हात्ति घोडा वाँदर अन्य वन्यजन्तुको दर्ता | गोटा | २००।- |
| ४ | हात्ति घोडा वाँदर अन्य वन्यजन्तुको पोष्टमार्टम | गोटा | ५००।- |
| ५ | भेडा वाखा खरायोको दर्ता | | ५।- |
| ६ | भेडा वाखा खरायोको पोष्टमार्टम | | ५०।- |
| ७ | सुगुर वंगुरको दर्ता | | ५।- |
| ८ | सुगुर वंगुरको पोष्टमार्टम | | ५०।- |
| ९ | कुखुरा हाँस र अन्य पंक्षीको दर्ता | | ५।- |
| १० | कुखुरा हाँस र अन्य पंक्षीको पोष्ट मार्टम | | १०।- |
| ११ | माछाको पोष्टमार्टम | | ३०।- |
| १२ | अन्य पशुपंक्षीको पोष्टमार्टम | | ५०।- |
| १३ | कुकुर विरालोको दर्ता | | १००।- |
| १४ | कुकुर विरालोको पोष्टमार्टम | | ३००।- |
| १५ | अन्य मुसा खरायो आदि पोष्टमार्टम | | ५०।- |
| १६ | अल्ट्रासाउण्ड | | ५००।- |
| १७ | ठुला चौपायाको मेजर अपरेशन | | ३००।- |
| १८ | साना चौपायाको (कुकुर विरालो वाहेक) को मेजर अपरेशन | | २००।- |
| १९ | कुकुर विरालो लगाएत कम्प्यानियन जनावरको को मेजर अपरेशन | | १०००।- |
| २० | अन्य पशु (वन्यजन्तु समेत) को मेजर अपरेशन | | ५००।- |
| २१ | घाउ ड्रेसिङ्ग | | २००।- |
| २२ | माइनर अपरेशन | | १००।- |
| २३ | प्लाष्टरिङ्ग | | ३००।- |
| २४ | एन्टी रेविज भ्याक्सिन | | ७५।- |

वेलका नगरपालिका पशुसेवा शाखाको आ.व. २०८३/०८४ को सेवा शुल्कको दररेट रू.

| क्र.सं. | विवरण | इकाइ | दररेट रू. |
|---|---|---|---|
| १ | कल्चर सेन्सेटिभिटी | नमुना | २००।- |
| २ | मास्टाइटिस टेष्ट | नमुना | ४०।- |
| ३ | गोवर परिक्षण | नमुना | २०।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| क्र.सं. | विवरण | इकाइ | दररेट रू. |
|---|---|---|---|
| ४ | रुटिन पिसाव परिक्षण | नमुना | १००।- |
| ५ | हेमोग्लोविन | नमुना | ४०।- |
| ६ | pcv | नमुना | ४०।- |
| ७ | Blood Parasite | नमुना | ५०।- |
| ८ | Skin Scrapping | नमुना | १००।- |
| ९ | रेपिड टेष्ट | नमुना | ५०।- |

नोट :- पशुपंक्षी तथा मत्स्यको रोग महामारीको रुपमा फैलिएको अवस्थामा नमुना संङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा तथा उपचार गर्दा सेवा शुल्क नलाग्ने ।

पशु पन्छी कृत्रिमगर्भाधानका लागि सिफारिस गरिएको शुल्क

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | दररेट रू. |
|---|---|---|---|
| १ | गाई/भैंसी प्रतिपशु | प्रतिगोटा | ५०।- |
| २ | बाख्रा/बंगुर सामान्य | प्रतिगोटा | २५।- |
| ३ | बोयर/सानन | प्रतिगोटा | १००।- |

चौपाया नियन्त्रण

| सि.नं. | चौपायाको नाम | इकाई | सेवा शुल्क रू | थप प्रत्येक दिन रू |
|---|---|---|---|---|
| | राँगा, भैसी प्रतिगोटा | प्रतिगोटा | ५००।- | ३००।- |
| १ | गा, गोरु | प्रतिगोटा | ४००।- | २५०।- |
| २ | घोडा, खच्चर | प्रतिगोटा | ३००।- | २००।- |
| ३ | कोरली (वाछा, वाछी) | प्रतिगोटा | २५०।- | १५०।- |
| ४ | वाख्रा, खसी, भेडा, च्याङ्ग्रा | प्रतिगोटा | २००।- | १५०।- |
| ५ | सुंगुर, वंगुर | प्रतिगोटा | ४००।- | ३००।- |

कृषिजन्य बस्तुको विक्री तथा निकासीका लागि को दररेट रू.

| क्र.स | विवरण | इकाई | दररेट रू. | क्र.स | विवरण | इकाई | दररेट रू. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सिन्कौलीको बोक्रा | प्रति मन | २५।- | २४ | नास्पति, आँप | सयकडा | १५।- |
| २ | बेसार | प्रति मन | २५।- | २५ | भुस | प्रति मन | १० ।- |
| ३ | अदुवा | प्रति मन | ८०।- | २६ | फर्सी | प्रति मन | ५।- |
| ४ | लसुन | प्रति मन | ८०।- | २७ | तरुलजन्य बस्तु | प्रति मन | १५।- |
| ५ | तोरी, तेलहन | प्रति मन | ४०।- | २८ | च्याउ | प्रतिकेजी | ५।- |
| ६ | पिना | प्रति केजी | १।- | २९ | मह | प्रतिकेजी | १०।- |
| ७ | केरा | प्रति घरि | ८।- | ३० | मनुगा | प्रति मन | ४०।- |
| ८ | अलैची | प्रति मन | १०। | ३१ | भुसा | प्रति मन | ४।- |



अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| क्र.स | विवरण | इकाई | दररेट रू. | क्र.स. | विवरण | इकाई | दररेट रू. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९ | बोडा, गहत दाल, फिलुङ्गे, दाल दलहन | प्रति मन | ४०। | ३२ | लिच्ची | प्रति मन | १००।- |
| १० | कालो मास | प्रति मन | ४५।- | ३३ | सुपाडी, नरिवल छकडा अन्यमसला | प्रति मन | १२०।- |
| ११ | बाँस | प्रति घना | १।- | ३४ | कागती | सयकडा | २०।- |
| १२ | सिन्कौली | | २०। | ३५ | सिन्का बाँसको | प्रति मन | ३०।- |
| १३ | पात | सयकडा | १०। | ३६ | मिन्रल्स वाटर | | २० |
| १४ | आलु | प्रति मन | १०। | ३७ | फूलकोभी, बन्दा | प्रति मन | ८।- |
| १५ | भटमास | प्रति मन | ४०। | ३८ | भान्टा | प्रति मन | ८।- |
| १६ | सुन्तला | सयकडा | १५। | ३९ | हरियो साग सब्जी | प्रति मन | ८।- |
| १७ | नास्पाती | सयकडा | ८।- | ४० | सनपाट | प्रति मन | ५।- |
| १८ | टमाटर | प्रति मन | १०। | ४१ | तित्री (ईमली) | प्रति मन | १०।- |
| १९ | आँप | प्रति मन | १०। | ४२ | अम्लीसो कुचो | प्रतिकेजी | १।- |
| २० | निबुवा, जुनार | सयकडा | १५। | ४३ | धान, मकै, गँहु, कोदो | प्रति मन | १०।- |
| २१ | कटहर, भुँईकटहर, रुख कटहर) | सयकडा | २५। | ४४ | मैदा | प्रति मन | २०।- |
| २२ | पिडालु | प्रति मन | ५।- | | | | |
| २३ | सखखर | प्रति मन | ५ | | | | |

वनजन्य तथा जडीबुट्टीजन्य सामाग्रीको सिफारिस गरिएको निकासी दररेट रू.

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | स्वीकृत दररेट रू. | कै |
|---|---|---|---|---|
| १ | सतावरी कुरीलो | प्रतिकेजी | ०।६० | |
| २ | मजितो | प्रतिकेजी | ०।६० | |
| ३ | चिरैतो माडा | प्रतिकेजी | ०।९० | |
| ४ | चिरैतो डाँठ | प्रतिकेजी | ०।९० | |
| ५ | रिठ्ठा | प्रतिकेजी | ०।६० | |
| ६ | सर्प गन्धा जरा | प्रतिकेजी | ०।१५ | |
| ७ | तेजपत्ता बोक्रा | प्रतिकेजी | १।५० | |
| ८ | तेजपत्ता | प्रतिकेजी | १।०० | |
| ९ | वनलसुन जरा | प्रतिकेजी | ३।०० | |



कार्की
प्रमुख

बेलका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रामपुर, उदयपुर
कोशी प्रदेश, नेपाल
२०७३

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | स्वीकृत दररेट रू. | कै |
|---|---|---|---|---|
| १० | सिकाकाई | प्रतिकेजी | ०।९० | |
| ११ | सालधुप | प्रतिकेजी | १।५० | |
| १२ | सल्लाको सिम्टा | प्रतिकेजी | ०।२५ | |
| १३ | लोट सल्ला | प्रतिकेजी | ५।०० | |
| १४ | खोटो | प्रतिकेजी | ०।५० | |
| १५ | भोर्लाको पत्तालोक्ता | प्रतिकेजी | ०।६० | |
| १६ | पटेर बावियो खर अम्लिसोको कुचो | प्रति गाडा | ४०।०० | |
| १७ | भोर्लाको पत्तालोक्ता पटेर बावियो खर अम्लिसोको कुचो | प्रति टक्याटर | १००।०० | |
| १८ | भोर्लाको पत्तालोक्ता पटेर बावियो खर अम्लिसोको कुचो | प्रति ट्रक | ३००।०० | |
| १९ | सालको वियाँ | प्रतिकेजी | १।०० | |
| २० | तेजपत्ता/सिन्कौलीको तेल | प्रति लि | १५०।०० | |
| २१ | उल्लेख नभएका अन्य जडिबुटी | प्रतिकेजी | १।५० | |

सामुदायिक वन अन्तर्गत काठ दाउराको कर संकलन दररेट

क. केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ६२ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था वेलका नगरपालिकाको वन तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुको वार्षिक आम्दानीको १०% रकम वेलका नगरपालिकाको सञ्चित कोष खातामा जम्मा हुनेछ ।

ख. निकासी पैठारी गर्दा तपसिल अनुसारको काठहरुको हकमा तपसिल बमोजिमको दररेट रू.मा नगरपालिकालाई दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

| क्र.सं. | काठको विवरण | प्रति कि.वी. | दर रु. | कै |
|---|---|---|---|---|
| १ | साल गोलिया | प्रति क्यू. फिट | १५।- | |
| २ | साल चिरान | प्रति क्यू. फिट | १२।- | |
| ३ | सिसौ (गोलिया, चिरान) | प्रति क्यू. फिट | १०।- | |
| ४ | अन्य काठ, चट्ट चिरान/गोलिया | प्रति क्यू. फिट | ५।- | |
| ५ | दाउरा चट्टा | प्रति ट्र्याक्टर | १००।- | |
| | | प्रति ट्रक हाफ | २००।- | |
| | | प्रति ट्रक सानो फुल | ३००।- | |
| | | प्रति ट्रक ठूलो | ४००।- | |
| ६ | खयर | प्रति के.जि. | १।- | |

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

कस्टम हायरिङ्ग शुल्क

| क्र.सं | उपकरणको नाम | नगरपालिकाको स्वीकृत योजना भएमा भाडादर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | व्याक हो लोडर | रु.१२०० प्रति घण्टा | इन्धन वाहेक |
| २. | स्काभेटर | रु.१८०० प्रति घण्टा | इन्धन वाहेक |
| ३. | ट्रयाक्टर डाला सहित ढुवानी पटके | रु.२०००/३०००/४५००/७००० प्रति १०/२५/५०/१०० किलोमिटर (तराइ क्षेत्र) | |
| ४. | ट्रयाक्टर डाला सहित ढुवानी पटके | रु.३०००/४०००/५५००/८००० प्रति १०/२५/५०/१०० किलोमिटर (पहाडी क्षेत्र) | |
| ५. | ट्रयाक्टर ट्यांकर सहित | रु.२२०० प्रति टिप | |
| ६. | टयाक्टर रोडाभेटर | २००० प्रति घण्टा | |
| ७. | टयाक्टर कल्टिभेटर | १७०० प्रति घण्टा | |
| ८. | टयाक्टर रिपर | १५०० प्रति घण्टा | |
| ९. | टयाक्टर मेजप्लाण्ट | १६०० प्रति घण्टा | |
| १० | टयाक्टर पेटेटो प्लान्टर | १८०० प्रति घण्टा | |
| ११. | टयाक्टर पेटेटो डिगर | १८०० प्रति घण्टा | |

नोटः अनुसूचीमा उल्लेख नभएका बस्तुहरुको दररेट रू. कोशी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-१५

१. नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने दण्ड, जरिवाना र नियमित शुल्क

| क्र.सं | विवरण | दर रु. |
|---|---|---|
| क | मापदण्ड पुरा भएको स्वीकृत नक्सा विना बनेको पक्की संरचनाको हकमा नक्सा नियमित दस्तुर प्रतिवर्ग फिट | १०।- |
| ख | मापदण्ड पुरा भएको स्वीकृत नक्सा विना बनेको कच्ची संरचनाको हकमा नक्सा नियमित दस्तुर प्रतिवर्ग फिट | ४।- |
| ग | स्वीकृत नक्साविना बनेको पक्की संरचनाको हकमा जरिवाना प्रतिवर्ग फिट | ५।- |
| घ | स्वीकृत नक्साविना बनेको कच्ची संरचनाको हकमा जरिवाना प्रतिवर्ग फिट | २।- |
| अन्यको हकमा प्रमुखको निर्णयानुसार कम्तिमा रु ५०००।- देखि बढीमा रु १०००००।- सम्म जरिवाना दस्तुर वरावरको रकम | | |

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

नोटः असाहय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गर्दा तथा दैवीय प्रकोप, आर्थिक सहयोग तथा निःशुल्क औषधी उपचार सहयोग सिफारिसमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने ।

२. दण्ड जरिवाना कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक विधेक, २०८३ अनुसार हुनेछ

विविध

१. टोल विकास संस्थाहरुले नवीकरण म्याद समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र नवीकरण नगरेमा प्रतिवर्ष रु १०० जरिवाना लाग्ने

२. विभिन्न पदपूर्ती सम्वन्धी परीक्षा शुल्क लोक सेवा आयोगले तोके बमोजिम हुने

३. ईटा विक्री(प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क) दर रु. १५०।- प्रति हजारमा)

४. भूमी लगत संकलन सिफारिस दस्तुर

क. भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्वासीलाई लाग्ने राजश्व प्रति कित्ता रु ५०।००

ख. अव्यवस्थित वसोवासी (नगरभित्र वसोवास गर्ने) प्रति कित्ता रु १००।००

ग. अव्यवस्थित वसोवासी (नगरभन्दा बाहिर वसोवास गर्ने) प्रति कित्ता रु २००।००

घ. भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासको भूमी व्यवस्थापन इकाईबाट सिफारिस गर्दा रु ५०

ङ। छुट फाराम भर्नुपरेमा समयावधिभन्दा पछी आएका निवेदकलाई वडाको सिफारिस अनुसार रु १००।००

**अनुसूची-४ संग सम्वन्धित पूजीको आधारमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा दर्ता हुने व्यवसायको वर्गीकरण**

| क्र.सं. | पूजिको आधारमा | उद्योग | वाणिज्य |
|---|---|---|---|
| १. | रु १ देखि १०००० सम्म | • आरन<br>• चिया, नास्ता होटल<br>• कुखुरा कटिङ्ग<br>• मासु पसल<br>• घडी रेडियो मर्मत<br>• हस्तलेखन<br>• ढाका व्याग<br>• क्रिस्टल माला<br>• दालमोठ भुजिया<br>• डल कुशन<br>• नर्सरी | • पान पसल<br>• तरकारी<br>• चटपटे<br>• साधारण घडि<br>• फलफुल<br>• सुर्ति खुद्रा<br>• फोटो कापी पसल |

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| क्र.सं. | पूजिको आधारमा | उद्योग | वाणिज्य |
| --- | --- | --- | --- |
| २. | रु १०००१ देखि २००००० सम्म | • कृषि उद्योग<br>• टेलरिङ्ग सेवा<br>• मोवाइल रिपेयर पसल<br>• वाख्रापालन<br>• साइकल मर्मत | • जुत्ता चप्पल पसल<br>• किराना पसल (सामान्य) |
| ३. | रु २००००१ देखि ५००००० सम्म | • चाउमिन थुक्पा उद्योग<br>• पशुपालन<br>• कफी सप<br>• मोटरसाइकल मर्मत<br>• अटो मर्मत<br>• सैलुन<br>• कम्प्युटर प्रिन्टर मर्मत<br>• ढाका उत्पादन उद्योग<br>• अचार उद्योग<br>• बेकरी तथा खाद्य वस्तु उत्पादन उद्योग<br>• व्याग/झोला उत्पादन<br>• वाजा नौमति<br>• तामाका भाडावर्तन उत्पादन | • कस्मेटीक<br>• सृङ्गार पसल<br>• कम्प्युटर प्रिन्टर मर्मत |
| ४. | रु ५००००१ देखि १०००००० सम्म | • सिमेन्ट व्लक उधोग सामान्य<br>• आल्मुनियम फलामे झ्याल<br>• वरफ उधोग<br>• मिल कुटानी पिसानी पेलानी<br>• हल्का पेय पदार्थ सहितको होटल<br>• जुत्ता उत्पादन उद्योग<br>• हस्तकलामा आधारित उद्योग<br>• मसाज सेन्टर (स्पा)<br>• साबुन र सरफ उद्योग<br>• अगरवत्ति उद्योग<br>• पर्यटन उद्योग र होमस्टे<br>• प्यारागलाइडिङ्ग<br>• माछा पोखरी<br>• कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र | • सिसा पसल<br>• इलक्ट्रोनिक्स समान<br>• फोटो स्टुडियो |

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

| क्र.सं. | पूजिको आधारमा | उद्योग | वाणिज्य |
| --- | --- | --- | --- |
| ५. | रु १०००००१ देखि २०००००० सम्म | • ज्वेलरी<br>• रिकन्डिसन<br>• ग्रील उधोग<br>• डेरी उधोग<br>• गार्मेण्ट<br>• कवाडी खाना<br>• छापा खाना<br>• होटल तथा लज<br>• इन्जिनियरिङ्ग सेवा<br>• स्नोकर<br>• आल्मुनियमका सामान<br>• स्केटिङ्ग<br>• सेलर मिल सानो | • साना हार्डवेर<br>• रङ्गपसल<br>• जस्तापसल<br>• इलेक्ट्रीकल<br>• फर्निचर सो रुम<br>• ग्यास डिलर्स<br>• कृषि सप्लायर्स |
| ६. | रु २००००००१ देखि ३०००००० सम्म | • तारजाली उधोग्<br>• फर्निचर उधोग<br>• सामान ढुवानी | • टायल मार्वल पसल<br>• मालसमान सप्लायर्स<br>• मेशिनरी पार्ट पुर्जा<br>• एग्रोभेट<br>• विविध मिक्स पसल<br>• फर्निचर पसल<br>• सोफा हव |
| ७. | रु ३०००००१ देखि ५०००००० सम्म | • ज्वेलर्स<br>• पानी उद्योग<br>• चार्जिङ्ग स्टेसन सिङ्गल<br>• चारपाङ्ग्रे मर्म<br>• सेलर मिल | • मदिरा पसल<br>• मिनि मार्ट<br>• मनि ट्रान्सफर |
| ८ | रु ५०००००१ देखि माथि | • इटा उधोग<br>• गोवरग्यास कम्पनी<br>• आयल निगम<br>• कृषि उपकरण विक्री<br>• रेष्टुरा वार एण्ड विच<br>• सिनेमा हल | • हार्डवेयर<br>• सुपर मार्केट<br>• मोटर साइलक सोरुम |

**द्रष्टव्यः** एकै व्यक्तिको नाममा उद्योगको प्रकृति फरकपारी एउटै फर्ममा व्यवसाय थप गरेको अवस्थामा उद्योगको प्रकृति अनुरुप फर्मलाइ पूँजीको आधारमा टुक्रयाउनु पर्नेछ । वाणिज्य फर्मको हकमा व्यवसायको प्रकृति हेरी छुट्टै सटर वा कोठा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हकमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

अशोक कार्की
नगर प्रमुख